



Case No. 91/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/SER-2162/DL/22/2025-RU-IV

श्री नीरज सेमवाल

सचिव (पावर) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,
हिमाद्रि, राजघाट पावर हाउस ऑफिस कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली - 110021

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **09/10/2025** को **15:30 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

संदर्भ 1

(i) इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में न्याय दिलाने के संबंध में – श्री बिजेन्द्र सिंह मीणा, टर्नर मशीनिस्ट ग्रेड-2, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजघाट पावर हाउस काम्प्लेक्स, नई दिल्ली का दिनांक 17.03.2025 का पत्रअभ्यावेदन।/

(ii) Indraprastha Power Generation Company Ltd., & Pragati Power Corporation Ltd., New Delhi vide letter No. DGM(HR)II/2025-26/69 dated 16.06.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **01/10/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।



मोहर

हस्ताक्षर

[Signature]
1.10.25

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, New Delhi-110003

Copy to: - NIC for uploading